

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नेशनल लोक अदालत का आज 12 दिसम्बर शनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 11 दिसम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 दिसम्बर 2020 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए0000. (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10ए0000. (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए0000. (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1ए00ए0000. (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10ए0000. से अधिक तथा रुपये 50ए0000. तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1ए00ए0000. (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए0000. से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2019.20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12.12.2020 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 दिसम्बर 2020 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

फुटेज के आधार पर डालूमोदी बाजार के राजेन्द्र राठौर पर किया जुर्माना

मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 11 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को

गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की इयूटी लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डालू मोदी बाजार के राजेन्द्र राठौर पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर विरेन्द्र यादव चौमुखी पुल पर 5000 व गणेश गुर्जर चौमुखी पुल पर 2000 का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

नगर के 3 नालो की सफाई का कार्य प्रारंभ

रतलाम 11 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 11 दिसम्बर शुक्रवार को चमारिया नाकाए जवाहर नगर व शास्त्री नगर गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 इस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 11 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए

शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला इस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त  
50 दिनों में 73 वॉल्व व 381 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 11 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 11 दिसम्बर तक 73 वॉल्व व 375 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 11 दिसम्बर शुक्रवार को ऑफिसर कालोनीए आनन्द कालोनीए मिल्लत नगरए आनन्द कालोनी हनुमान मंदिर के सामनेए हाट रोड दरगाह के सामने व महावीन नगर गैस गोडाउन के पास पाईप लाईन लीकेज के साथ ही सुदामा परिसर की गली नम्बर 1 व 3 में पाईप लाईन के चाक को खुलवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

सोमवार को महावीर नगर में लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर  
बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 37ए05ए253६. संपत्तिकर व 10ए13ए125६. जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 11 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गिरावटए सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुफ्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किफ्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुफ्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 2ए38ए224ए. व जलकर 43ए460ए.ए मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए66ए429ए. व जलकर 43ए830ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए69ए336ए. व जलकर 41ए850ए.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए94ए652ए. व जलकर 1ए06ए050ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर 4ए54ए616ए. व जलकर 84ए000ए.ए तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर 55ए700ए. व जलकर 14ए800ए.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 65ए133ए. व जलकर 18ए430ए.ए इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए04ए310ए. व जलकर 37ए520ए.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए63ए070ए. व जलकर 41ए200ए.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 54ए244ए. व जलकर 31ए700ए.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800ए. व जलकर 13ए500ए.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 89ए439ए. व जलकर 29ए500ए.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843ए. व जलकर 80ए000ए.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232ए. व जलकर 24ए800ए.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424ए. व जलकर 46ए350ए.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000ए. व जलकर 45ए500ए.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000ए. व जलकर 90ए310ए.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093ए. व जलकर 68ए580ए. की एक मुफ्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित षिविरों में 37ए81ए253ए. संपत्तिकर व 10ए37ए725ए. जलकर की राशि जमा कराई।

वाई वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वाई क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगरए वाई क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहाए वाई क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरूए वाई क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वाई क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वाई क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वाई क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वाई क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुप्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वाई वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वाई में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुप्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ए. (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ए. (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ए. (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ए. (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000ए. (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ए. (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000ए. (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ए. (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000ए. (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000ए. (बीस हजार) से 50ए000ए. (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000ए. (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप इयूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 4 मवेशी

स्वच्छंद विचरण करने वाले 380 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 11 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 11 दिसम्बर तक 380 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर क्रय किया गया जिससे 12 मवेशियों को नगर के प्रमुख स्थानों से पकड़कर गौशाओं में भेजा गया। नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 11 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 380 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 11 दिसम्बर शुक्रवार को बाजना बस स्टैण्ड दीनदयाल नगर धीरजशाह नगर क्षेत्र से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाडे व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/11ण12ण2020ध्न.पा.निगमए रतलाम.